11·57 hrs.

DISCUSSION *RE*: EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES & MOTION *RE*: TWENTIETH, TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*contd.*

MR. SPEAKER : This is a very important subject. A large number of members have given notice, particularly the members belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Therefore, I shall give Shri Yuvraj twenty minutes and the rest of the Members will confine their speeches to ten minutes each. That is because a large number of members want to speak.

So, I hope you will take only ten minutes. I would request the hon. Members not to speak in the House when the debate is going on. Please observe silence in the House.

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं चर्चा करना चाहता हूं । आप को और इस सदन को यह जान कर बड़ा कष्ट होगा कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों में इन के लिये जो पद आरक्षित (रिजर्व्ड) है, वे कभी पूरे नहीं किये गये । बार-बार प्रयास के बावजूद, बार बार इस सवाल को उठाने के बावजूद भी जो इन का रिजर्वेशन है, चाहे प्रथम श्रेणी हो, चाहे द्वितीय श्रेणी हो और चाहे तृतीय श्रेणी हो—इन तीनों श्रेणियों में भारी कमी रह जाती है और वह कमी पूरी नहीं हो पाती । सभी सरकारों को, चाहे राज्य सरकार हो, संघ राज्य क्षेत्र हों, सभी को 31 मार्च, तक यह जानकारी आयुक्त को देनी होती है, लेकिन यह जानकारी उन के पास समय के अन्दर कभी नहीं पहुंच पाती । आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में इस का बड़ा दुखद चित्रण किया है और बतलाया है कि हरिजन और आदिवासियों के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने का जहां तक प्रश्न है, वे संकलित नहीं किये जाते और ठीक समय पर आयोग को उपलब्ध नहीं किये जाते ।

1974 के अन्त तक श्रेणी तीन तथा चार के सभी गैर-तकनीकी पदों में और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर के पदों में अनुसूचित जातियों के लिये 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये 5 प्रतिशत आरक्षण करने का अनुदेश दिया गया था । 1974 के अन्त तक 6 प्रतिशत से बढ़ कर 8 प्रतिशत और श्रेणी 4 में 10 प्रतिशत से बढ़ कर 12 प्रतिशत किया । आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि बहुत लम्बे समय तक विशेष भर्ती योजना चालू की जाए और अगर एक अभियान विशेष भर्ती योजना का लम्बे समय तक चालू होता, तो अनेक हरिजन और आदिवासी भाइयों की नियुक्ति हो जाती लेकिन रस्म अदायगी के तौर पर कुछ विभागों में खास तौर पर चतुर्थ श्रेणी के पदों को भरने के लिए, तृतीय श्रेणी के पदों को भरने के लिए और कुछ द्वितीय श्रेणी के पदों के भरने के लिए एक विशेष अभियान चालू किया गया और कुछ काल तक ही यह अभियान चला, जिस के फलस्वरूप इन तीनों श्रेणी के कुछ पदों को भरा जा सका लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी का जो चित्र है, वह बहुत ही निराशाजनक है ।

12.00 hrs.

अध्यक्ष महोदय, आप यह देखेंगे कि 5 अगस्त, 1977 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6452 के उत्तर में वित्त और राजस्व मंत्री ने यह बताने की कृपा की है । उन्होंने बताया है कि 30-7-1977 की स्थिति के अनुसार विभिन्न आय-कर अधिकार-क्षेत्रों में श्रेणी-1 के 1275

अधिकारी और श्रेणी 2 के 2044 आयकर अधिकारी थे । इनमें से श्रेणी-1 के 142 आय कर अधिकारी और श्रेणी 2 के 213 आय कर अधिकारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के थे । केन्द्रीय परिमण्डल के विशेष वेतन वाले पद और कम्पनी परिमण्डल के पदों पर अधिकतर श्रेणी-1 के आयकर अधिकारी तैनात हैं और श्रेणी-1 के 142 आय कर अधिकारियों में से 17 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अधिकारी ऐसे पदों पर तैनात हैं । इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत प्रयास करने के बावजूद भी जो अपेक्षित आरक्षित पद है वे भी भरे नहीं जा सके । आप को और इस सदन को यह जान कर बहुत दुःख होगा कि अनस्टार्ड क्वेश्चन 6298 के उत्तर में वित्त और राजस्व मंत्री जी ने यह बताया है :—

"The total number of Class I and II (Gazetted) posts in the various Central Excise and Customs collectorates as on 1-7-1977 and the total number of posts reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

"The total number of Class I (Group A) and Class II (Group B) (Gazetted) posts in the various Collectorates of Central Excise and Customs as on 1-7-1977 is annexed."

इस स्टेटमेंट में जो जगह मैक्सिमम थी, वे बतलाई गई है और उस में यह कहा गया है कि अहमदाबाद में सेन्ट्रल एक्साइज कलक्ट्रेट में क्लास-1 के 136 पद हैं । क्लास 2 के 120 पद है । इसी तरह से इलाहाबाद में 32 और 110 हैं । बंगलौर में 25 और 110 हैं । बड़ौदा में 29 और 165 हैं । बम्बई में 74 और 238 हैं । भुवनेश्वर में 10 और 37 हैं । कलकत्ता में 30 और 160 हैं। कुल जो योग हैं वह क्लास 1 का 634 बनता है और क्लास 2 का 2399 । इन में से एक पद पर भी अनुसूचित जाति या जन जाति का व्यक्ति नहीं लिया गया है ।

इनकम टैक्स के जो आंकड़े हैं उनको सुन कर और भी ताज्जुब होगा । न केवल सैंट्रल एक्साइज और कस्टम्ज में इन जातियों का एक भी हरिजन और आदिवासी उच्चाधिकारी नहीं है बल्कि इनकम टैक्स विभाग के बारे में जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है उस में भी इन्होंने बताया है कि आंध्र में जहां क्लास 1 की 115 पोस्ट्स हैं और क्लास 2 की 73 उन में एक भी हरिजन या आदिवासी नहीं है । असम में 31 और 35 में से एक भी नहीं है । यही हाल दूसरे राज्यों का बम्बई, बिहार, पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश कानपुर, मेरठ, आगरा, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और इलाहाबाद आदि का है । प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पद जो इनकम टैक्स के अधीन थे 1-7-77 को उन में से एक भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों को नहीं दिया गया था । इससे बढ़ कर हमारे लिए शर्म और तकलीफदेह बात क्या हो सकती है ।

उस दिन रेल मंत्री जी ने बतलाया था कि 1974-75 में एक विशेष अभियान चलाया गया था । उन्होंने सदन को आश्वस्त किया था कि वह भी एक विशेष अभियान चलाने की दिशा में योजना बना रहे हैं । मैं आपका ध्यान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 1973-74 वर्ष की रिपोर्ट की ओर ले जाना चाहता हूं । विभिन्न राज्यों ने अपने अपने लोक सेवा आयोग गठित किए हैं । आंध्र प्रदेश में इस आयोग के सदस्यों की कुल संख्या

[श्री युवराज]

अध्यक्ष सहित चार है जिस में एक अनुसूचित जाति का है । असम में चार में से एक अनुसूचित जन जाति का है । आंध्र में एक भी अनुसूचित जन जाति का नही है और असम में अनुसूचित जाति का कोई नहीं है । बिहार में इन की संख्या चार है लेकिन कोई भी इन जातियों का सदस्य उस में नहीं हैं । इसी तरह से गुजरात, हरियाणा, आदि प्रदेशों में एक भी इन जातियो का नही है। ये आयोग प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों की प्रतियोगिताए आयोजित करते है और उम्मीदवारों की नियुक्ति का निर्णय देते हैं । उनका अपना चित्र कितना निराशा-जनक हैं इसको आप देखें । ये जो उच्च पद हैं जो उनके आरक्षित हैं, उनका जो कोटा है इसको आप देखे । कोटा ह वह कभी भी पूरा नही हो पाया है । इसको देख कर बडी निराशा होती है ।

मैं समझता हूं कि जब तक सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक पढ़ने लिखने से, नाम के लिए स्टाइपैंड दे देने से हम उनको हम समान सतह पर नहीं ला खडा कर सकते हैं । हमें सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन करना होगा, दृष्टिकोण में परिवर्तन करना होगा ताकि जो पद उनके लिए सुरक्षित किए गए हैं उन पर उनको नियुक्ति हो सके और जो उनका कोटा है वह पूरा हो सके ।

मैं सरकार और समाज को इसके लिये जिम्मेदार मानता हूं कि आरक्षण के निर्धारण के बावजूद भी आरक्षित पद पूरे नहीं हो पाते हैं, इसलिये कि हम उन्हें आने नहीं देते । कहा जाता है कि यह पद पूरे नहीं होते । यह भरे नहीं जाते, इसमें दोष सरकार का नहीं है । प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नियुक्तियों के बारे में यह बात कही जा सकती है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो रिजर्वेशन का कोटा है, आरक्षण के लिये निर्धारित पद जब पूरे नहीं होते तो देखकर तकलीफ होती है और यह बात स्पष्ट हो जाती है कि नियुक्ति, बुलाने, सूचना देने, परीक्षा लेने की जो प्रक्रिया है वह दोषपूर्ण है और इसीलिये सर्वथा आरक्षण के पदों की पूर्ति नहीं हो पाती ।

मैं अपनी ओर से यह सलाह देना चाहूंगा कि गैर-सरकारी, केन्द्रीय और प्रान्तीय स्तर पर एक गैर-सरकारी सैल गठित किया जाये जो सरकार के इन विभागों को बराबर अपनी राय दे कि जो आरक्षण इनके लिये निर्धारित है, वह पूरा किया जाये और जो जगह पूरी नहीं हो पाती है, वह तब तक खाली रहेंगी जब तक वह पूरी न हो जायें ।

हरिजन और आदिवासियों के ऐसे उम्मीदवार, जो अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते है, वह अनारक्षित पदों में शामिल किये जायें, आरक्षित रिक्तियों में उन्हें नहीं लिया जाये । आरक्षित रिक्तियों में केवल छूट के जरिये चुने हुए उम्मीदवारों को ही लिया जाये । मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि हरिजनों के लिये जो 15 प्रतिशत और आदि-वासियों या अनुसूचित जनजातियों के लिये जो 7 1/2 प्रतिशत जगह आरक्षित हैं, उन्हें क्रमशः 22 प्रतिशत और 15 प्रतिशत कर दिया जाये । प्रत्येक विभाग में विशेष अभियान चलाकर रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास किया जाये । इतना ही नहीं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जहा प्रतियोगिता होती है वहां उन्हें प्राप्तांकों में विशेष छूट दी जाये । जगहें पूरी न होने पर उन्हें रिक्त रखा जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी राय व्यक्त करना चाहता हूं और बार-बार इन्हीं बातों को दोहराना चाहता हूं ।

बिहार में यह बात मेरे कई मित्रों ने उठाने की कोशिश की है । बिहार, बंगाल और आंध्र में एक असंतोष का वातावरण है । आप देखेंगे कि ऐसे ही लोग विद्रोही निकलते हैं जो हरिजन, आदिवासी, दलित या पीड़ित हैं या जिनका आर्थिक शोषण हुआ है । ऐसे ही लोग विद्रोहियों की कतार में दाखिल होते हैं । इसलिये हमें सामाजिक स्थितियों में परिवर्तन करना होगा । आन्दोलन चलाकर राजनीतिक चेतना को जगाने की जरूरत है । जो भी अनाचार, दुराचार, शोषण और सामाजिक दबाव इन पर पड़ता है उसका वह खुलकर विरोध कर सकें, ऐसी चेतना लाने और उन्हें समाज में प्रतिष्ठित करने के लिये प्रयत्न किया जाना चाहिये । केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से लेकर ग्राम पंचायत तक हरिजनों और आदिवासियों को कहीं जगह नहीं मिल पाती और जब उन्हें जगह नहीं मिलती तो बड़ी निराशा होती है । उद्योगों और जमीन के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । मीन्ज आफ लाइवलीहुड, उत्पादन और वितरण के साधनों पर उन का स्वामित्व नहीं हो पाता है ।

अगर इन बुनियादी सवालों का निराकरण नहीं होगा, तो देश की शोषित, दलित और पिछड़ी हुई तीन-चौथाई आबादी इस समाज को बदलना चाहेगी और बदल कर ही दम लेगी ।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत कुछ भार श्री युवराज ने हल्का कर दिया है । हरिजनों की समस्या एक सामाजिक समस्या, नैतिक समस्या और मानवीय समस्या के रूप में देखी जा रही है । लेकिन मूलतः हरिजनों की समस्या एक आर्थिक समस्या है । यह स्पष्ट है कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वही सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं । शूद्रों का इतिहास आर्थिक रूप से पद-दलित और पीड़ित मानवता का इतिहास रहा है । इस लिए हरिजनों का प्रश्न सामाजिक और नैतिक प्रश्न उतना नहीं है जितना कि वह एक आर्थिक प्रश्न है । इस लिए आज जब नौकरियों में उनके संरक्षण की बात कही जाती है, तो उस के लिए यह तर्क होना चाहिए कि वे आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके ।

वस्तुतः हरिजनों की समस्या एक आर्थिक वर्ग संगठन—ट्रेड यूनियन—की समस्या है । आज पिछड़ी जातियों और हरिजनों में जो जागरण हो रहा है, वह न तो सामाजिक विद्वेष का परिणाम है, न राजनैतिक विकृति का परिणाम है, अपितु वह एक आर्थिक वर्ग संगठन का रोष है । अगर हम इस दृष्टि से देखेंगे, तो हमें आर्थिक समस्याओं को हल करने में प्राथमिकता देनी होगी ।

आज जब हमारे हरिजन भाई कुछ रोष से बदलते हैं, तो हम लोगों को उस पर आश्चर्य और अप्रसन्नता होती है । लेकिन यह तथ्य है कि जब आर्थिक समस्या लोगों को परेशान करती है, तो ब्राह्मण भी अपना ब्राह्मणत्व भूल जाते है ।

देवी भागवत महापुराण के सप्तम स्कंध में कहा गया है कि राजर्षि विश्वामित्र को भी चांडाल के यहां मांस और जूठा खा कर अपनी प्राणरक्षा करनी पड़ी थी । जब भरी सभा मे रजस्वला द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा था, तो सारे ब्राह्मण और धनुर्धारी क्षत्रिय मौन थे —कह रहे थे "अर्थस्य पुरुषो दासो" । अर्थ की मार बहुत बड़ी मार होती है ।

यदि हरिजन भाइयों को आर्थिक सुविधाएं दी जायें, तो वे अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और अपने घर को अच्छा बना सकते हैं । इस लिए आर्थिक समस्या ही हरिजनों की मौलिक समस्या है । लेकिन इस का मतलब यह नही है कि उन्हें राजनीति से दरकिनार कर दिया जाये । हरगिज नहीं ।

[डा० रामजी सिंह]

यह आवश्यक है कि राजनीति के मूर्द्धण्य स्थानों पर, चाहे वह दल में हों और चाहे प्रशासन में, उन्हें कार्य करने का विशेष अवसर दिया जाये, अर्थ नीति भी राजनीति की चरणदासी रहती है। महाभारत का दूसरा श्लोक है : "सर्वेधर्मा: राजधर्मा: निमग्ना: ।" राजनीति भी अर्थ नीति को संचालित करती है ।

इसी लिए हरिजन समस्या अगर एक तरफ अर्थ-नीति की समस्या है तो दूसरी तरफ राजनीति की समस्या है । इसलिए आर्थिक स्थितियों में, आर्थिक नौकरियों में उन्हें विशेष संरक्षण तो दिया ही जाना चाहिए, राजनीति में भी "विशेष अवसर" देना बहुत आवश्यक है ।

मुझे याद है एक बार डा० अम्बेदकर से अंग्रेज वायसराय ने पूछा कि हिन्दुस्तान के पिछड़ेपन का और हरिजन लोगों के पिछड़ेपन का क्या कारण है तो उन्होंने बतलाया था कि इस का मूल कारण है हिन्दुस्तान का जातिवाद और उन्होंने यह कहा था कि इसके निवारण के लिए शिक्षा बहुत आवश्यक है । उन्होंने कहा था कि वही जाति समृद्ध है जो शिक्षित है और जो अशिक्षित है उस में जागरण का अभाव रहता है । अपने अधिकारों के लिए भी वह जाति नहीं लड़ सकती है । इसीलिए डा० अम्बेदकर ने शिक्षा पर बहुत जोर दिया । वाइसराय ने दूसरा प्रश्न उन से किया कि हरिजनों को छोटी छोटी नौकरियां तो दी जाती हैं तो उन्होंने कहा कि उससे मुझे संतोष नहीं है । उन्होंने कहा था कि सचमुच में अगर आप चाहते हैं हरिजनों और पिछड़ी जातियों को संतोष देना तो राजनीति के शीर्षस्थ स्थलों पर उन्हें रखें जिस से उन से नीचे के स्थानों पर उन के साथ गैर-इसाफी न हो सके । अगर डा० अम्बेदकर वाइसराय की लेजिस्लेटिव कौंसिल में है तो वह देख सकते हैं कि नीचे जो गैर-इंसाफी हो रही है वह दूर की जाये । आज अगर भारतवर्ष की राजनीति में, सारे राजनैतिक दलों में और प्रशासन के उच्च पदों पर हरिजन भाई ऊंची-ऊंची जगहों पर रहते तो उन के साथ बेलची या इस तरह के दूसरे हत्याकांड नहीं होते । कारण उसका यही है कि दुख वही समझता है जिस के ऊपर दुख बीतता है ।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हरिजन भाइयों को विशेष अवसर देना तो दूर रहा उन को उचित अवसर भी नहीं दिया जाता है । अभी जो मुझे लोक सभा के पुस्तकालय से सामग्री मिली उसमें बताया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जन संख्या भारत में 14.6 और 6.9 प्रतिशत है लेकिन उन को नौकरियों में किस तरह का स्थान दिया जाता है यह आप देखें तो मालूम होगा कि कितना बड़ा अन्याय उन के साथ किया जाता है—क्लास वन में 3 प्रतिशत, क्लास टू में 5 प्रतिशत, क्लास 3 में 11 प्रतिशत और क्लास 4 में 18 प्रतिशत । लगता है इस तरह से मानो "पदभ्यां शूद्रो अजायत" जो यजुर्वेद में कहा है वह उक्ति इन के लिए चरितार्थ होती है । लगता है केवल मोटे काम करने के लिए ये बने हुए हैं और हम दूसरे कामों के लिए बने हुए है । केवल भंगी का काम वे जिन्दगी भर करते रहेंगे और हम जिन्दगी भर राज-सेवा के निर्णायक पदों पर काम करते रहेंगे । जहां समाज में इस तरह का विभाजन होगा वहां वह समाज रह नहीं सकता है । "समम-जनंति जना:" जहां समता रहती है वहां समाज रहता है । जैसा मैंने कहा यहां तो उन्हें उचित अवसर भी नहीं दिया जाता है, विशेष की तो बात ही क्या है ?

इसलिए मैं अपने कर्मठ गृह मंत्री से मांग करता हूं, क्योंकि वह पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति का वह दर्द समझते हैं, इसलिए मैं उन से मांग करता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शुड्यूल

लिए केवल अलग अलग कमिश्नर ही नहीं एक स्वतन्त्र मंत्रालय की स्थापना करें और उस का प्रधान एक हरिजन होना चाहिए । जो और भी बातें रिपोर्ट में आई हैं उसके ऊपर भी मैं केवल ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

नौकरी के बारे में जैसा अभी बतलाया गया है, उनका रिप्रेजेन्टशन पूरा नहीं होता है। तीन वर्ष का टाइम इसके लिए रखा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस रिप्रेजेन्टशन को पूरा नहीं करते क्या उनको दण्डित नहीं किया जा सकता? यदि इस प्रकार के चार-पांच लोगों को दण्डित कर दिया जाये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हू कि इन लोगों का नौकरी में रिप्रेजेन्टेशन पूरा होने लग जायेगा । मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि इन का प्रतिनिधित्व बढा दिया जाये । इसके लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जो रिपोर्ट है उसमें काफी अनुशंसा की गई है कि कैसे कैसे काम होना चाहिए। इसके साथ ही पदोन्नति में भी उनका रिजर्वेशन होना चाहिए और उसको बढाना चाहिए और पिछला मूल्यांकन होना चाहिए कि क्यों नहीं बढ़ाया गया है और किसके षडयन्त्र से नहीं बढ़ाया गया है। मै माननीय गृह मन्त्री जी से कहूंगा कि इसके लिए भी एक कमीशन बिठाना चाहिए । यदि हिन्दुस्तान की सम्पूर्ण आबादी का पांचवां भाग इस प्रकार से उपेक्षित रह गया तो यह देश वास्तव में कभी भी विकास नहीं कर सकेगा । केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी और संजय गांधी के लिए ही कमीशन बनाने की बात नहीं हो, देश की कुल आबादी के पांचवे भाग के साथ जो षडयन्त्र किया गया है उसकी जांच के लिए भी आयोग बिठाना चाहिए। इसमें माननीय गृह मंत्री का कोई दोष नहीं है, पिछली सरकार जो हरिजनपरस्ती का दावा करती थी लेकिन जो कार्य किए वह हरिजनों के खिलाफ थे उनके दिमाग में आज हरिजनों पर एट्रासिटीज को लेकर बेलछी की घटना उभर रही है

MR. SPEAKER: Please do not refer to the Belchi matter.

That is *Sub judice*.

डा० रामजी सिंह : मैं बेलछी का जिक्र नहीं करूंगा । 1972 में 3302 अत्याचार हरिजनों पर हुए । 1973 में 6186 अत्याचार हरिजनों पर हुए। 1974 में, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी का उत्कर्ष वर्ष था, 8807 अत्याचार हरिजनों पर हुए। 1975 मे, जब अपातकाल स्थिति में हम बोल भी नहीं सकते थे, हरिजनों पर हजारों अत्याचार हुए होंगे जोकि अखबारों में नहीं आये, फिर भी 1975 में 7781 अत्याचार हुए ।

अध्यक्ष महोदय वास्तव में यह रिपोर्ट हमारी सरकार की रिपोर्ट तो है नही, यह तो पिछली अपराधी सरकार की रिपोर्ट है. इसके लिए तो महाअभियोग होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पाच हजार वर्षों से जिनको दुःखी रखा गया है, जिनको निर्बल किया गया है उन के लिए सीधी प्रथा कमीशन की रखी गई है। उनसे कह दिया जाता है कि तुम कपीट नही करते हो । उनको तो शक्ति प्रदान करनी होगी और प्रोत्साहन देना होगा।

अध्यक्ष महोदय मैं एक बात और कहना चाहूंगा । हरिजनों के प्रति किस प्रकार से उपेक्षा बरती गई है उसका एक उदाहरण यह है कि शेडयूल्ड कास्टस एंड शेडयूल्ड ट्राइब्ज के कमिश्नर का वारंट आफ प्रिसीडेंस में 28वां स्थान दिया गया है। इस देश के हरिजन जो इस देश के समुदाय का पांचवा हिस्सा हैं उनके अभिवक्ता का स्थान वारंट आफ प्रिसीडेंस में 28वां हो — यही है इस देश के हरिजनों के दुख दर्द की कथा । मैं माननीय गृह मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस वारंट आफ प्रिसीडेंस को बदलें । इसके साथ ही शेडयूल्ड कास्टस के लिए एक स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की जाये तभी इस समस्या का कुछ समाधान हो सकता है।

एक प्रार्थना के साथ मैं अपने भाषण को अंत करूंगा । आज सारी चीजों के सम्बन्ध में सरकार श्वेत पत्र और श्याम पत्र पत्र प्रकाशित

[डा० रामजी सिंह]

कर रही है, लेकिन हरिजनों और आदिवासियों के सम्बन्ध में 1972-73 की रिपोर्ट हमारे सामने है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि क्या काम हुआ, एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारे सामने नहीं है। सरकार ने क्या आश्वासन किये थे, उनका कहां तक कार्यान्वयन हुआ — इस की रिपोर्ट नहीं है। एक तरह से यह जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत है, यह आधी रिपोर्ट है। इसलिये मेरा कहना है कि इस बहस को अगले सत्र तक ले जाना चाहिये और इस बीच में सरकार एक्शन टेकन की रिपोर्ट हमारे सामने रखे ताकि पिछली सरकार ने हरिजनों के साथ कितना घोर अन्याय किया है, वह राष्ट्र के सामने स्पष्ट हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे गृह मंत्री जी इन बातों की ओर ध्यान देंगे।

MR. SPEAKER : Before we proceed further—I did not want to disturb the proceedings—there is one urgent matter which has come in because the Railway Minister has got to go to Cyprus. He was to make a statement on Monday. I have permitted him not to make a long statement. I have permitted him to make a statement because he has to go to Cyprus today, and he has promised to make a statement on Sholapur line. (*Interruptions*). About the Sholapur line, he has promised to make a statement.

12·32 hrs.

STATEMENT *RE*: INCLUSION OF SHOLAPUR DIVISION IN CENTRAL RAILWAY

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): Sir, the House will recall that ever since the information of South Central Railway in October, 1966, there have been persistent demands for the transfer of Sholapur Division back to the Central Railway both from the public as well as the Railwaymen.

Representations have been received from time to time amongst others from M.Ps., M.L.As. local bodies and Unions highlighting the difficulties faced by the rail users including traders and industrialists as well as railway staff on Sholapur Division. Questions have also been asked in both the Houses from time to time regarding transfer of Sholapur Division back to the Central Railway.

A Committee comprising of 3 Members of Parliament under the Chairmanship of the then Dy. Minister of Railways was constituted to indentify and examine the problems of Sholapur Division.

Broadly following the recommendations of this Committee, a group of experts in the Railway Ministry is studying all aspects of this issue.

On the basis of its findings the final decision on the matter will be announced in the first week of September, 1977.

(*Interruptions*)

MR: SPEAKER : Not in this House.

SHRI O. V. ALAGESAN (Arkonam): No decision has been announced.

MR. SPEAKER : He has promised to make a statement and therefore he has made it. He says that it will take a little time.

SHRI N. SREEKANTAN NAIR (Quilon) : What is the importance of his promise.

MR. SPEAKER : All right.

PROF. MADHU DANDAVATE : That is very important because there was some statement made while replying.

12·33 hrs.

DISCUSSION RE. EMPLOYMENT OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES IN SERVICES & MOTION RE TWENTIETH, TWENTYFIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES—*Contd.*

श्री श्यामसुन्दर गुप्त (बाढ़): अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान जब आजाद नहीं हुआ था, उस के पहले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने, जिन की प्रतिमूर्ति आज न सेन्ट्रल हाल में है और न ही टाइम कैप्सूल में उन का नाम लिया गया है, कहा था।

"You Cannot Leave Your Work as Soon as India is free because after fightin the foreigners You will have to guard the nation form evils which may be Caused by Indian reactionaries."

अध्यक्ष महोदय, 1947 में जब हिन्दुस्तान को आजादी मिली, उस के बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था – कोई भी नीति निर्धारित करते वक्त तुम्हें इस बात का हमेशा ख्याल